प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक- 08.07.2026

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को थाना बखिरा पुलिस द्वारा करायी गयी ₹ 2000 की धनराशि वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में ***क्रैक साइबर क्राइम अभियान*** के अंतर्गत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से थाना बखिरा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के शिकार एक पीड़ित के खाते में **₹** 2000 की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

***घटना का संक्षिप्त विवरण* :**

वादी श्री **सुनिल पुत्र** श्री **लालचन्द यादव** निवासी ग्राम कौड़िया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 01.07.2025 को स्कैमर द्वारा अपने को बैंक का कर्मचारी बता कर लोन जमा करने के नाम पर 2000 की धनराशि अपने खाते में स्थानांतरित करा ली गई थी। घटना की जानकारी होने पर पीड़ित द्वारा 1930 के माध्यम से थाना बखिरा की साइबर हेल्प डेस्क पर शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत प्राप्त होते ही साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात महिला आरक्षी **सुमन कुमारी** द्वारा तत्काल शिकायत पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई। साइबर सेल थाना बखिरा की प्रभावी पैरवी एवं सतत प्रयासों के फलस्वरूप पीड़ित के खाते में पूर्ण धनराशि **₹**2000 की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई। धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित एवं उनके परिजनों ने थाना बखिरा पुलिस की त्वरित एवं सराहनीय कार्यवाही के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भूरी-भूरी प्रशंसा की।

***कार्यवाही करने वाली टीम* :**

- थानाध्यक्ष श्री उमाशंकर त्रिपाठी
- प्रभारी साइबर सेल उ0नि0 श्री राजेश कुमार
- आरक्षी चन्द्रभान सिंह
- महिला आरक्षी सुमन कुमारी
- महिला आरक्षी अनामिका सिंह

जनता से अपील

1. किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक संबंधी जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड अथवा यूपीआई पिन साझा न करें।
2. यदि कोई व्यक्ति रिश्तेदार या मित्र बनकर फोन पर धनराशि की मांग करे, तो उसकी पहचान वीडियो कॉल अथवा अन्य विश्वसनीय माध्यम से सुनिश्चित करने के बाद ही कोई भुगतान करें।
3. साइबर अपराधी अक्सर आवाज बदलकर अथवा भावनात्मक दबाव बनाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं, इसलिए सदैव सतर्क रहें।
4. किसी भी प्रकार की साइबर ठगी या संदिग्ध ऑनलाइन लेन-देन की स्थिति में तत्काल **1930** साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें अथवा **www.cybercrime.gov.in** पर शिकायत दर्ज कराएं।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को थाना बखिरा पुलिस द्वारा करायी गयी ₹ 5499.61 की धनराशि वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में ***क्रैक साइबर क्राइम अभियान*** के अंतर्गत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से थाना बखिरा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के शिकार एक पीड़ित के खाते में **₹** 5499.61की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

***घटना का संक्षिप्त विवरण* :**

श्री **मोहम्मद आजाद पुत्र मोहम्मद गनी** निवासी ग्राम भगवानपुर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के दिनांक 12.01.2026 को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा किस्त जमा करने के नाम पर 7000 की धनराशि अपने खाते में स्थानांतरित करा ली गई । घटना की जानकारी होने पर पीड़ित द्वारा थाना बखिरा की साइबर हेल्प डेस्क पर शिकायत दर्ज कराई गई । शिकायत प्राप्त होते ही साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात महिला आरक्षी ***सुमन कुमारी*** द्वारा तत्काल शिकायत पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई। साइबर सेल थाना बखिरा की प्रभावी पैरवी एवं सतत प्रयासों के फलस्वरूप पीड़ित के खाते में **₹**5499.61 की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित एवं उनके परिजनों ने थाना बखिरा पुलिस की त्वरित एवं सराहनीय कार्यवाही के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भूरी-भूरी प्रशंसा की।

***कार्यवाही करने वाली टीम* :**

- थानाध्यक्ष श्री उमाशंकर त्रिपाठी
- प्रभारी साइबर सेल उ0नि0 श्री राजेश कुमार
- आरक्षी चन्द्रभान सिंह
- महिला आरक्षी सुमन कुमारी
- महिला आरक्षी अनामिका सिंह

जनता से अपील

5. किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक संबंधी जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड अथवा यूपीआई पिन साझा न करें।
6. यदि कोई व्यक्ति रिश्तेदार या मित्र बनकर फोन पर धनराशि की मांग करे, तो उसकी पहचान वीडियो कॉल अथवा अन्य विश्वसनीय माध्यम से सुनिश्चित करने के बाद ही कोई भुगतान करें।
7. साइबर अपराधी अक्सर आवाज बदलकर अथवा भावनात्मक दबाव बनाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं, इसलिए सदैव सतर्क रहें।
8. किसी भी प्रकार की साइबर ठगी या संदिग्ध ऑनलाइन लेन-देन की स्थिति में तत्काल **1930** साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

दबिश के दौरान 04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता इरशाद पुत्र अब्दुल वहाब निवासी डीघा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, का0 राजन यादव, का0 शुभम राजपूत।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 03 नफर वारण्टी नाम पता 01. मो0 सिद्दीकीक पुत्र बरकत अली निवासी मोहम्मदगढ़, 02. लालमन लोध पुत्र मोतीलाल निवासी गरथौली 03. बदरुदोजा पुत्र हैदर अली निवासी लौकी लाला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा, हे0का0 रंजन कौशल, हे0का0 राजेश कुमार, का0 दीपक सिंह, का0 सोनू यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6004 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 महिला को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 6004 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत नाथनगर के पास से कालर द्वारा कार से महिला को टक्कर लगने के कारण दुर्घटना में घायल 01 महिला (1.मैना देवी पत्नी झिन्कू सा0 बैरागीपुर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल महिला को एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी नाथनगर भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल महिला को एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी नाथनगर भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- का0 प्रमोद यादव, का0 हरिशंकर शाह, हो0गा0चा0 नागेन्द्र प्रसाद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 278 वाहनों से 3,43,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 08.07.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 278 वाहनों से 3,43,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चोरी की 01 अदद नाक की कील, 01 अदद मंगलसूत्र, 01 अदद कान का झाला, 01 अदद लाकेट, 01 अदद एण्ड्रायड मोबाइल, 01 अदद जेवर खरीद पर्ची, 01 अदद छोटा लाल पर्स, 01 अदद सिम बरामद, 320 रु0 नकद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जय प्रकाश दूबे*** के नेतृत्व में में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 618/2026 धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त मोहम्मद नसीम उर्फ पिण्टू पुत्र फैज मोहम्मद निवासी शेरपुर(मगहर) थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को चोरी के 01 अदद नाक की कील, 01 अदद मंगलसूत्र, 01 अदद कान का झाला, 01 अदद लाकेट, 01 अदद एण्ड्रायड मोबाइल, 01 अदद जेवर खरीद पर्ची, 01 अदद छोटा लाल पर्स, 01 अदद सिम, 320 रु0 नकद के साथ काला गेट मगहर के पास से आज दिनाँक 08.07.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 244/2026 उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

***घटना का संक्षिप्त विवरण*-**

दिनाँक 07.07.2026 को वादी श्री तौकीर आलम पुत्र स्व0 जफरे आलम निवासी मो0 अंजान शहीद मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर दिनाँक 06/07.07.2026 की रात्रि में अभियुक्त उपरोक्त द्वारा वादी के घर में घुसकर आलमारी से सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मोहम्मद नसीम उर्फ पिण्टू पुत्र फैज मोहम्मद निवासी शेरपुर(मगहर) थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

01 अदद नाक की कील, 01 अदद मंगलसूत्र, 01 अदद कान का झाला, 01 अदद लाकेट, 01 अदद एण्ड्रायड मोबाइल, 01 अदद जेवर खरीद पर्ची, 01 अदद छोटा लाल पर्स, 01 अदद सिम, 320 रु0 नकद।

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद नसीम से पूछताछ की गयी तो बताया कि दिनाँक 06/07.07.2026 की रात्रि में अंजान शहीद में तौकीर आलम के घर में घुसकर अलमारी में रखा लाल रंग का पर्स व मोबाइल चोरी कर लिया था जिसमें बरामद जेवर व 500 रु0 रखे थे। चोरी करते समय तौकीर आलम आवाज सुनकर हल्ला करते हुए पकड़ने के लिए पीछा किए थे लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया था। चोरी के 500 रु0 में से 180रु0 खाने पीने में खर्च कर दिया था।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री रामाश्रय यादव, का0 अरुण कुमार, का0 कृष्णनारायण गौड़, का0 संतोष यादव।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 08.07.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 598/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रक्षा उर्फ भुलेन्दर पुत्र घूरन प्रसाद निवासी अवई पाकड़ थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को मेंहदावल बाईपास के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 02.07.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, हे0का0 रविशंकर श्रीवास्तव।